

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड					
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं.: 25/2016 एवं 29.11.2016. भवन योजना की स्वीकृति 7.6.2017 माध्यम/मैमो नं. ZP-1012/SD(BS)/2017/12388 दिनांक 7/6/17. हरियाणा रेरा रजिस्ट्रेशन नं.: 4 of 2017 दिनांक 20-06-2017					
3. स्थान	सेक्टर 107, गुरुग्राम					
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 3 एकड़ में कुल 448 अपार्टमेंट में से 29 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार कुल अपार्टमेंट का 5% मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और कुल अपार्टमेंट का 95% सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑनगवाड़ी-सह-क्रेच।					
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम	अपार्टमेंट के विवरण					
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिलाकर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK - T2	11	577.946	82.57	23,53,069	1,17,653	4,70,614
2BHK - T3	9	553.856	81.084	22,55,966	1,12,798	4,51,194
2BHK - T4	8	553.383	81.084	22,54,074	1,12,704	4,50,815
2BHK - T7	1	514.396	50.999	20,83,083	1,04,154	4,16,617
(ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।						
6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।					
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	फ्लोरिंग : विट्रिफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, किचन में सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में सिरामिक टाइल्स क्लास-11, कॉमन एरिया : टेराकोटा टाइल्स/पेवर्स/स्टोन • खिड़कियों के फ्रेम : IS कोड के अनुसार Z सेक्शन फ्रेम • दरवाजों के फ्रेम : प्लैट इनामेल पेंट किए गए पलश डोर • वॉल टाइल्स : बाथरूम में 5 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स, किचन में काउंटर के ऊपर 2 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स • किचन काउंटर टॉप : ग्रेनाइट • वॉल फिनिश : सीलिंग कलर वॉल वॉल/पेंटिंग OBD के साथ • प्लम्बिंग फिटिंग : PPR या समतुल्य पाइप • सैनिटरी फिटिंग : स्टैंडर्ड डिजाइन में ISI मार्का चाइनावेयर और CP • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्का • स्ट्रक्चर : RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोड और NBC के सुझावों के अनुसार सीज़मिक बलों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।					
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड : ग्राउंड फ्लोर, टावर A, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हरियाणा-0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7053-121-121 पर। ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 11.02.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।					

9. योग्यता :

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस कॉलोनी में अपना प्लैट/प्लॉट नहीं हो।
- एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक प्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक :

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कॉलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है।)



HRERA NO.: 4 of 2017 DATED 20.06.2017

12 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये ब्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ*



HOME LOAN PARTNERS: **HDFC** **ICICI Bank** **Axis Bank** **Yes Bank** **TATA CAPITAL** **ART** **Indiabulls** **Shubham** **Capgemini** **Axis Home Finance**

7053-121-121

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <https://haryanaera.gov.in/>. Journey time shown, if any is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft.